नीति निदेशक सिद्धान्तों की आलोचना (Criticism of Directive Principles) -

जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय संविधान सभा में और बाहर भी राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों संबंधी उपबन्धों की बहुत आलोचना हुई थी। निदेशक सिद्धान्तों के विरुद्ध की जाने वाली आलोचना के प्रमुख आधार निम्नलिखित है।

(i) वैधानिक शक्ति का अभाव (Lack of Legal Sanction) - संविधान द्वारा राज्य-नीति के निदेशक सिद्धांतों को एक ओर तो देश के शासन में मूलभूत माना है, किन्तु साथ ही वे वैधानिक शक्ति प्राप्त या न्याय योग्य नहीं है अर्थात् न्यायालय उपर्युक्त सिद्धान्त को क्रियान्वित नहीं करा सकते है। अतः आलोचकों की राय में ये निदेशक सिद्धांत 'शुभ इच्छाएं' (Pious wishes), 'नैतिक उपदेश' (Moral precepts) या ऐसी राजनीतिक घोषणाओं के समान है जिनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं हो। संविधान सभा के एक सदस्य श्री नासिरुद्दीन ने इन्हें 'नववर्ष के प्रथम दिन पास किए गए शुभकामना का प्रस्ताव' जैसी वस्तु कहा था और प्रो. के. टी. शाह के शब्दों में, यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। प्रो. व्हीयर ने इन निदेशक सिद्धान्तों को 'उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा-पत्र' कहा है और श्री एन. आर. राघवाचारी इन्हें 'ललित पदावली में व्यक्त उच्च ध्वनित भावनाओं की कैसी पंक्तियां कहते है जिनका वैधानिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। सर बी. एन. राव के शब्दों में "राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश के समान है और वे इस आलोचना के पात्र है कि संविधान में नैतिक उपदेशों के लिए उचित स्थान नहीं है।"

(ii) अस्पष्ट तथा अतार्किक रूप से संग्रहीत (Vague and illogically arranged) - नीति निदेशक सिद्धान्तों के विरुद्ध यह भी आलोचना की जाती है कि वे किसी निश्चित या संगतपूर्ण दर्शन पर आधारित नहीं है। वे अस्पष्ट है, उनमें क्रमबद्धता का अभाव है और इनमें एक ही बात को बार-बार दोहराया गया है।

Avinash

Scanned with CamScanner

उदाहरण के लिए, इन तर्कों को पुराने स्मारकों की रक्षा जैसे महत्वहीन प्रश्न अपेक्षाकृत अत्यन्त महत्वपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक प्रश्नों के साथ मिला दिए गए हैं। प्रो. श्रीनिवासन के शब्दों में "इस अध्याय में कुछ बेढंगे तरीके से आधुनिक को पुरातन के साथ और तर्क तथा विज्ञान द्वारा सुझाए गए उपबन्धों को विशुद्ध रूप से भावुकता पूर्वाग्रह पर आधारित उपबन्धों के साथ मिला दिया गया है।

(iii) अव्यावहारिक एवं अनुचित (Impractical and Unsound) - इन सिद्धान्तों की व्यावहारिकता व औचित्य को भी कुछ आलोचकों के द्वारा चुनौती दी गई है। उदाहरण के लिए, मद्यनिषेध से सम्बन्धित निदेशक सिद्धान्तों की स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था के प्रतिपादकों द्वारा उग्र आलोचना की गई है। उनका कहना है कि ये तथा-कथित सुधार राष्ट्रीय कोष पर भारस्वरूप होंगे। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि नैतिकता थोपी नहीं जा सकती है। मद्यनिषेध शराबियों को नैतिक प्राणी बनाने के बजाय शराब के अवैध व्यापार को जन्म देगा। यह व्यवस्था इस दृष्टि से भी अव्यावहारिक प्रतीत होती है कि अनेक राज्य सरकारों द्वारा कई बार मद्यनिषेध की व्यवस्था का अन्त कर सार्वजनिक क्षेत्र में मद्य विक्रय गृहों की स्थापना की गई है।

(iv) संवैधानिक द्वन्द्व के कारण (Basis of Constitutional Crisis) - संवैधानिक विधिवेत्ताओं ने यह आशंका व्यक्त की है कि ये तत्व भारतीय शासन में संवैधानिक द्वन्द्व और गतिरोध के कारण बन सकते हैं। संविधान सभा में सन्थानम् ने यह आशंका व्यक्त की थी कि इन निदेशक सिद्धान्तों के कारण राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री अथवा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। अतः इससे संसदात्मक प्रजातन्त्र को गम्भीर आघात पहुंच सकता है।

Avinash

Scanned with CamScanner